

07-11-2019 पत्रावली आज पेश हुई । पुकार पर

परिवादी अनुपस्थित है। उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली आज बहस तलवी हेतु नियत हैं। किन्तु कोई उपस्थित नहीं हैं और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादी, अपना परिवाद चलाना नहीं चाहता हैं तथा पत्रावली पर भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया जा सके। अतः परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद धारा 203 द0प्र0सं0 अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज